



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/19/13

Dt: 20-03-2013

Sh. Sujeet Singh

S/o Sh. Devi Prasad Khushwaha
10/2, Juhi Safed Colony,
Kanpur-208014 (UP).

Sub: Information under RTI Act-2005

Ref: Your application dt: 17-01-13, received on dt.: 22-01-2013

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से प्राप्त मदवार सूचना निम्नलिखित है :-

- पैरा 1 यह कि आप की भूमि का अधिग्रहण दो बार किया गया है। प्रथम चरण में गाटा सं० 236 का रकबा 0.2460 हे० भूमि का अधिग्रहण तथा 20ए जारी 10.06.08 को हुआ, यह कथन सत्य है।
- पैरा 2 से 7 तक आप ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर की दर के निर्धारण के विषय में आवश्यक जानकारी देते हुए आवेदन किया है कि दर का निर्धारण सही प्रकार से किया जाय। यदि आप प्रतिकर की दर से संतुष्ट नहीं है तो रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20F(6) के अंतर्गत मध्यस्थता का प्रावधान है जिसके लिए कानपुर कमीश्नर, कानपुर मण्डल, कानपुर को आर्बीट्रेटर हेतु नामित किया गया है। आप, दर निर्धारण हेतु एक आवेदन समस्त संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ आर्बीट्रेटर को कर सकते हैं। यदि आर्बीट्रेटर द्वारा दर का पुर्ननिर्धारण किया जाता है और वह दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर आप को पुर्ननिर्धारण की दर से भुगतान किया जाएगा। यदि आप की और कोई आपत्ति हो तो वह सी.पी.एम./कानपुर कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(RajivBhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: CPM/Kanpur

DESPATCH
21/3/13